राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

प.8(6)गृह–12/कारा/2020 जयपुर, दिनांक : 26/3/2020

–: परिपत्र :–

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4807/2020 परमेश्वरी चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2020 के द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) के सम्बन्ध में राज्य के कारागृहों में आवश्यक प्रबंधन किये जाने के सम्बन्ध में आदेशित किया है।

अतः राज्य की समस्त कारागृहों में बंदियों को COVID-19 (कोरोना वायरस) के बचाव हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. जेल परिसर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिसके लिए बार–बार हाथों को साबुन/हैड वॉश से धोते रहे एवं समय–समय पर सैनेटाइजर का भी उपयोग करें। सभी कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी मॉस्क का भी उपयोग करें।
2. कारागृहों को स्वच्छ रखे एवं सप्ताह में 02 बार फिनाईल से सफाई करावें।
3. शौचालय एवं स्नानागार को प्रतिदिन 02 बार फिनाईल से सफाई करावें।
4. बंदियों के हाथ धोने हेतु साबुन/हैड वॉश एवं हैण्ड़ सैनेटाइजर उपलब्ध करायें एवं बंदियों को निर्देश प्रदान करें कि वे समय–समय पर हाथ धोते रहें।
5. बंदियों को यह निर्देशित करें कि खासी एवं छींक आने पर मुहॅ एवं नाक पर कपड़ा लगाये या कोहनी मोड़कर लगाये।
6. किसी बंदी के जुकाम खांसी, बुखार एवं सामान्य लक्षण होने पर तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करावें।
7. बंदियों के मध्य जितना अधिक संभव हो सके, अधिकतम दूरी बनाये रखे जाने की सुनिश्चिता करें।
8. न्यायालय में बंदियों की भौतिक उपस्थिति (Physical Presence) रोकी जावें, वीडियों कॉन्फ्रेसिंग का उपयोग किया जावें।
9. साधारण कारणों (Routine Reasons) से बंदियों का एक जेल से अन्य जेल में स्थानान्तरण नही किया जावें।
10. बीमार बंदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावें तथा बीमार बंदियों से सामाजिक दूरी (Social Distancing) बनाई जावें। वृद्ध एवं अशक्त बंदियों का विशेष ध्यान रखा जावें।

11. विचाराधीन बंदी आवधिक समीक्षा समिति (UTRCs) की बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जावें।
12. जेलों पर नये आने वाले बंदियों की पूर्ण स्क्रीनिंग एवं मेड़िकल जॉच के उपरांत ही जेल में दाखिल किया जावें एवं नये बंदियों को कम से कम 14 दिवस तक अलग बैरिक्स में रखा जावें।
13. जिन जेलों एवं सब जेलों में डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टॉफ की सुविधायें उपलब्ध नही है, वहॉ स्थानीय PHC, CHC, Dispensary में कार्यरत डॉक्टर का नाम मनोनयन कराकर चिकित्सा जॉच एवं अन्य चिकित्सीय सुविधा व दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
14. यदि बंदियों में कोरोना वायरस (कोविड–19) से सम्बन्धित लक्षण दिखाई देते है तो ऐसे बंदियों के लिए कोरांटीन (Quarantine) बैरिक्स बनाये जाकर सतत् निगरानी में रखा जावें।
15. बंदियों के उपयोग हेतु निर्धारित टेलीफोन के पास एक कर्मचारी की ड्यूटी लगावें कि वह टेलीफोन को सैनेटाइज करता रहें एवं एक साथ एक से अधिक बंदी वहॉ एकत्रित नही हों।

आज्ञा से,

(एन.एल. मीना),
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप–6) विभाग को बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

(कैलाश चन्द),
शासन उप सचिव